

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5526 /

जबलपुर, दिनांक 28/12/2019

श्री आशु रावत, कोर्ट अटैन्डेंट (भृत्य), विधि विभाग, एम.पी. भवन, नई दिल्ली में पदस्थ, दिनांक 09.12.19 से अपने कर्तव्य पर बिना सूचना/आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण होने तक उनका वेतन भुगतान रोका जाता है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5527 /

जबलपुर, दिनांक 28/12/2019

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. Dharmender kataria, Liaison Officer, Law and legislative affairs department, Govt. of M.P. M.P. Bhawan, Chankya Puri, New Delhi- 110021.
3. असि. रजिस्ट्रार (एम) (स्था.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. ए.ओ. लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री आशु रावत, कोर्ट अटैन्डेंट (भृत्य), विधि विभाग, एम.पी. भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)